कृषि योग्य भूमि के लिए सिंचाई सुविधायें प्रदान करना

5027. **श्री ग्रास मोहम्मद :** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में देश में कुल कितने हैक्टेयर भूमि को सिंचाई के अन्तर्गत लाया गया है ;

(ख) इस पर कुल कितनी राशि व्यय हुई है ;

(ग) कुल कितने हैक्टेयर भूमि सिंचाई के अन्तर्गत है ;

(घ) क्या सरकार ने शेष कृषि योग्य भूमि हेतु सिंचाई सुविधायें प्रदान करने के लिये कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ङ) यदि हां, तो उक्त लक्ष्य की प्राप्ति हेतु क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने हैं ;

(च) क्या सरकार ने सिंचाई क्षेत्र में सरकारी निवेश आमंत्रित करने हेतु कोई योजना बनाई है ; और

(छ) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगैया नायडू) : (क) और (ख) "वृहद एवं मध्यम" परियोजनाओं तथा लघु सिंचाई योजनाओं के जरिये सिंचाई क्षमता की पिछले दो वर्षों के दौरान उपलब्धि तथा चालू वर्ष के लिये लक्ष्य तथा उस पर हुआ व्यय इस प्रकार है:—

वर्ष	सृजित सिंचाई क्षमता	परिव्यय/ व्यय
	(मिलियन हेक्टेयर)	(करोड़ रुपये)
1992–93	1.92	4041.91
1993–94	2.04 (प्रत्याशित)	4330.89 (संशोधित परिव्यय)
1994–95	2.77 (लक्ष्य)	5690.46 (अनुमानित परिव्यय)

(ग) कृषि मंत्रालय द्वारा प्रकाशित वर्ष 1991–92 की "भूमि उपयोग सांख्यिकी" में उपलब्ध नवीनतम सूचना के अनुसार, अनुमानित 184.35 मिलियन हैक्टेयर कुल कृष्य क्षेत्र में से निवल सिंचित क्षेत्र लगभग 48.80 मिलियन हैक्टेयर था ।

(घ) आठवीं योजना (1992–97) में 15.8 मिलियन हैक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित करने का लक्ष्य नियत किया गया है ।

(ङ) लक्ष्य प्राप्त करने की कार्य नीति में, अन्य बातों के साथ-साथ, ये शामिल हैं, (i) निर्माणाधीन वृहत एवं मध्यम परियोजनाओं को पूरा करने की प्राथमिकता (ii) वृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं में प्रयोक्ताओं की अधिक भागीदारी (iii) बड़ी संख्या में निर्माणाधीन धरातलीय जल लघु सिंचाई योजनाओं को शीघ्र पूरा करना और (iv) धरातलीय एवं भूजल का संयुक्त उपयोग ।

(च) और (छ) उन "वृहद एवं मध्यम" सिंचाई परियोजनाओं का निजीकरण करने का कोई प्रस्ताव नहीं है, जो अधिक पूंजीगत लागत वाली होती हैं । किन्तु तृतीय स्तर पर प्रणाली के अनुरक्षण का कार्य तथा जल का वितरण और जल दरों की वसूली जल प्रयोक्ता संघों एव सहकारी समितियों को सौंपे जाने का प्रस्ताव है ।

गुजरात में नहरों के निर्माण हेतु केन्द्रीय सहायता

5028. **श्री कनकसिंह मोहनसिंह मंगरोला :** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गुजरात में नहरों के निर्माण के लिये कोई योजना बनाई है और क्या केन्द्रीय स्तर पर कोई सहायता प्रदान की गई है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या प्रगति की गई है और विगत दो वर्षों में कितनी सहायता प्रदान की गई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वी. रंगैया नायडू) : (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार ने गुजरात में नहरों के निर्माण के लिये कोई योजना नहीं बनाई है । तथापि, योजना आयोग ने गुजरात की पिगुट एवं वलदेवा सिंचाई परियोजना के कुछ नहर कार्यों के लिये वर्ष 1994–95 के दौरान 82.77 लाख रुपये की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता निर्मुक्त की ।

गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों से संबद्ध व्यक्ति

5029. **श्री गोपालसिंह जी. सोलंकी** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार गुजरात के अहमदाबाद, बडोदरा, सूरत, भरूच, और पंच महल जिलों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से संबद्ध व्यक्तियों के बारे में प्रमाणित आंकड़े प्राप्त करने के लिए कोई व्यापक सर्वेक्षण कराने का विचार रखती है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इन जिलों में अनुसूचित जातियों से संबंधित व्यक्तियों के लिये उनकी आबादी के अनुपात में किसी धनराशि का आबंटन किया जा रहा है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) और (ख) गुजरात सरकार ने बताया है कि जहां तक अनुसूचित जातियों का संबंध, ऐसे सर्वेक्षण का कोई विचार नहीं है । योजना मंत्रालय सांख्यिकी विभाग, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के अनुसार उनके द्वारा कई दौर के सर्वेक्षण किए गए हैं । राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा संचालित सर्वेक्षण पर आधारित गरीबी तथा सम्बद्ध अनुमान/सांख्यिकियों योजना आयोग द्वारा तैयार की जाती है । 50वें दौर का पंचवर्षीय सर्वेक्षण जुलाई, 1993 से जून, 1994 के दौरान किया गया है । इसके परिणाम वित्तीय वर्ष के अंत तक उपलब्ध होने की संभावना है । इस सर्वेक्षण में गुजरात राज्य सहित सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र शामिल हैं ।

(ग) और (घ) अनुसूचित जातियों के विकास के लिए विशेष संघटक योजना नीति में यह परिकल्पना की गई है कि राज्य सरकारों द्वारा अपने बजट में राज्य की कुल जनसंख्या का अनुसूचित जाति की जनसंख्या के अनुपात में आबंटन किए जाते हैं । विभिन्न जिलों में अनुसूचित जाति के लोगों के लिए समुचित निधियां आवंटित करना राज्य सरकार का विवेक है ।

गुजरात में बालिकाओं के शैक्षिक विकास के लिये योजनायें

5030. **श्री संघ प्रिय गौतम** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों से संबंद्ध बालिकाओं के शैक्षिक विकास के लिए अब तक जिलेवार कौन कौन सी योजनाएं आरम्भ की गई हैं ;

(ख) इन योजनाओं के अन्तर्गत अब तक कितनी प्रगति हुई है ;

(ग) उक्त योजनाओं के अन्तर्गत कितनी लड़कियों को शामिल किया गया है और उनके चयन के लिये क्या मापदंड अपनाये गये हैं ;

(घ) इस संबंध में कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है; और

(ङ) क्या सरकार उक्त योजनाओं का समय-समय पर मूल्यांकन कराने का विचार रखती है ?